न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 153/2014

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. किशनाई पत्नि स्व. लालाराम		1. राजस्थान सरकार जरिए
2. प्रकाश पुत्र स्व. लालाराम		तहसीलदार, जैतारण
3. महिपाल पुत्र स्व. लालाराम		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
4. प्रियंका पुत्री स्व. लालाराम		
वादी संख्या 2 से 4 ना0बा0		
की वलिया माता किशनाई		
जातियान–जाट,निवासी–बिरामपुरी,		
तह.–जैतारण जिला–पाली (राज.)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट तारीख रजू:.15.07.2014

उपस्थित:- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 25/03/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 LR Act. 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–धारानगरी, पटवार हल्का–आसरलाई, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में खसरा नम्बरान् 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 एवं 806 कुल किता–12 कुल रकबा 183–02 बीघा किस्म चा0सो0 एवं गै0मु0 की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज नैना पुत्र हीरा जाट एवं अन्य हिस्सेदारों के खातेदारी व कब्जा काश्त की थी, जिसके सबूत के रूप में चौशाला जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020, 2021 से 2024 की इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। नैना पुत्र हीरा फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 109/13.11.1968 को भरा गया था। जिसमें वादीगण संख्या 1 के ससुर पन्नाराम उर्फ लाबूराम व उनके सगे भाई खींयाराम भींयाराम व शिवराम के नाम का भरा गया था, जिसकी प्रविष्टि संवत् 2025 से 2028 में की गई हैं। वादीगण संख्या 1 के ससुर का सही नाम पन्नाराम पुत्र नैनाराम ही था, जिसके सबूत के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, बिरामपुरी की खातेदारी जमीन का नामान्तरकरण आदि साथ में पेश की हैं, जिससे साबित हैं कि वादीगण संख्या एक के ससुर का रिकॉर्डेड नाम पन्नाराम पुत्र नैनाराम ही था। पन्नाराम पुत्र नैनाराम का स्वर्गवास वर्ष 1995 में हो गया था, जिस पर ग्राम–बिरामपुरी पटवार हल्का मोहराई में स्थित आराजी बाबत् नामान्तरकरण संख्या 171 भरा जाकर वादीगण संख्या एक के पति लालाराम के नाम की प्रविष्टि कर दी गई थी। परन्तु धारानगरी में स्थित उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की वादग्रस्त भूमि में पन्नाराम के बजाय केवल लाबूराम का नाम दर्ज होने की वजह से नामान्तरकरण की कार्यवाही वादीगण संख्या एक के पति के नाम नहीं हो पाई थी। तत्पश्चात् वादीगण संख्या एक के पिता व वादीगण संख्या दो से चार के पिता लालाराम पुत्र पन्नाराम का देहान्त दिनांक 15/04/2014 को हो गया हैं। उनके विधिक वारिसान वादीगण ही हैं तथा जरिये नामान्तरकरण के उक्त भूमि वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी भी हैं। लेकिन उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में भूमि पन्नाराम पुत्र नैनाराम की बजाय लाबूराम पुत्र नैनाराम के नाम से दर्ज हो रखी हैं। लाबूराम के बाबत् कोई दस्तावेजी सबूत भी

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादीगण के पास नहीं हैं। जबकि वादीगण संख्या एक के ससुर का सही नाम पन्नाराम ही था। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में भूमि लाबूराम पुत्र नैनाराम के नाम दर्ज होने की वजह से नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हो पा रही हैं, जिससे वादीगण को भारी परेशानी हो रही हैं। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाकर वादीगण संख्या एक अपने ससुर का सही नाम लाबूराम पुत्र नैनाराम की बजाय पन्नाराम पुत्र नैनाराम के नाम की सही प्रविष्टि करवाने एवं वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने एवं वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी होने से यह वाद पत्र रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा का बाबत् विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी हैं। वादीगण के पति व पिता का स्वर्गवास हो चुका हैं, जिस पर वादीगण संख्या एक ने नामान्तरकरण करवाने हेतु हल्का पटवारी के समक्ष आवेदन भी पेश किया हैं। पटवारी ने दिनांक 10/06/2014 को नामान्तरकरण करने से ईन्कार कर दिया व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वाद पत्र पेश करने की हिदायत दी, जिस पर यह वाद पत्र पेश किया हैं। वादीगण संख्या दो से लगायत चार नाबालिग हैं, जिनकी तरफ से बतौर संरक्षक व कुदरती वलीया माता किशनाई देवी की तरफ से पेश किया जा रहा हैं। वादीगण संख्या एक किशनाई का हित दिगर वादीगण से कतई भिन्न भी नहीं हैं। इसलिये अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर यह वाद पत्र सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 तहसीलदार, जैतारण जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके विरूद्ध वाद पत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र अनुमति लेकर श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं, अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश किया हैं। बिनायदावा दिनांक 10/06/2014 को हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से ईन्कार करने व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा करने का कहने पर बमुकाम-धारानगरी पटवार हल्का-आसरलाई तहसील-जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर मयाद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वाद पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वकील वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 की ओर से नायब तहसीलदार, जैतारण दिनांक 24/11/2014 को उपस्थित आए। जबाबदावा पेश करना नहीं चाहने से जबाबदावा प्रतिवादी बन्द किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि वादीगण संख्या 1 के ससूर का सही नाम पन्नाराम पुत्र नैनाराम था, जिसकी संपुष्टि साक्ष्य सबूत में प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत राशन कार्ड संख्या 4 दिनांक 18/05/2010, आधार कार्ड नामांकन 1047/71264/11834, मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 05/05/2014 मृतक लालाराम पुत्र पन्नाराम, जमाबन्दी 2066-69 तथा नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 22/01/1998 से होती हैं। जिसके अनुसार मौजा-बिरामपुरी की खसरा नम्बर 5 व 2 की भूमि में पन्ना फौत होने पन्नाराम पुत्र लालाराम के स्थान पर विरासत के उक्त नामान्तरकरण संख्या 171 के जरिए उनके पुत्र लालाराम पुत्र पन्ना दर्ज किया गया हैं। लिहाजा खसरा नम्बर 795 से 806 कुल किता-12 रकबा 183 बीघा 02 बिस्वा भूमि में भी वादीगण के ससूर लालाराम के पिता का गलत दर्ज नाम लालाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर लालाराम पुत्र पन्नाराम दुरूस्त करवाया जाना तथा वादीगण को मृत्यु प्रमाण-पत्रानुसार लालाराम फौत हो जाने से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण, (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा राशन कार्ड संख्या 4 दिनांक 18/05/2010, आधार कार्ड नामांकन 1047/71264/11834, मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 05/05/2014 मृतक लालाराम पुत्र पन्नाराम, जमाबन्दी 2066-69 तथा नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 22/01/1998 से होती हैं, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः विवादित कृषि भूमि 795 से 806 कुल किता-12 कुल रकबा 183 बीघा 02 बिस्वा किस्म चा0सो0 व गै0मु0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टि लालाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर लालाराम पुत्र पन्नाराम जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज करवाया जाना तथा तत्पश्चात उनके विधिक वारिसानों की जांच करके वादीगण के नाम दर्ज करवाया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। आंशिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-धारानगरी, पटवार हल्का-आसरलाई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बरान् 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 एवं 806 कुल किता-12 कुल रकबा 183-02 बीघा किस्म चा0सो0 एवं गै0मु0 में कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टि लालाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर लालाराम पुत्र पन्नाराम दुरुस्त इन्द्राज जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज किया जावें। तत्पश्चात् लालाराम के विधिक वारिसानों की विधिक रूप से जांच करके तहसीलदार, जैतारण उनके विधिक वारिसानों के नाम दर्ज करें। डिकी पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया जावें। तहसीलदार डिकी पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 25/03/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. किशनाई पत्नि स्व. लालाराम		1. राजस्थान सरकार जरिए
2. प्रकाश पुत्र स्व. लालाराम		तहसीलदार, जैतारण
3. महिपाल पुत्र स्व. लालाराम		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. प्रियंका पुत्री स्व. लालाराम		
वादी संख्या 2 से 4 ना0बा0		
की वलिया माता किशनाई		
जातियान-जाट,निवासी-बिरामपुरी,		
तह.-जैतारण जिला-पाली (राज.)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 153/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। आंशिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-धारानगरी, पटवार हल्का-आसरलाई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बरान् 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 एवं 806 कुल किता-12 कुल रकबा 183-02 बीघा किस्म चा0सो0 एवं गै0मु0 में कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टि लालाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर लालाराम पुत्र पन्नाराम दुरूस्त इन्द्राज जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज किया जावें। तत्पश्चात् लालाराम के विधिक वारिसानों की विधिक रूप से जांच करके तहसीलदार, जैतारण उनके विधिक वारिसानों के नाम दर्ज करें। तहसीलदार को डिकी पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	1	00	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	3	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		
मिजानः-	7	00	मिजानः-	Nil	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner